संख्या : 22/XXIV(6)/2011

प्रेषक,

वेदीराम,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनॉक : 09 मार्च–2011

विषय : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को पुर्नविनियोग के माध्यम से अनुदान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांकः यूओयू/एफसी/2010–11–64 दिनांक 08,दिसम्बर 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को आयोजनेत्तर पक्ष में **वेतन व अन्य भत्तों आदि मदों में** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में **रूपये 97,00,000/– (रूपये सत्तानवें लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0 –15 के अनुसार अनुदान के रूप में पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति करते हैं।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि व्यय नहीं की जायेगी । व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/ कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, कय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा । कम्प्यूटर आदि के कय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2– विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय **प्रस्तर–1 में उल्लिखित्** मदों में व्यय हेतु फॉट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

4— स्वीकृत की गयी धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी ।

5— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

6— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन संलग्न पुर्नविनियोग प्रपत्र बी0एम0—15 के कॉलम —5 में उल्लिखित् लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाई के नाम डाला जायेगा तथा पुर्नविनियोग प्रपत्र के कॉलम—1 की बचतों में से वहन किया जायेगा ।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 398(NP)/XXVII(3)/ 2010 दिनॉक 03,मार्च—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय

(वेदीराम)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 22 /XXIV(6)/2011 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
5. वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्, देहरादून ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
7. वित्त अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनुसचिव ।